न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :— भागीरथ शाख आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 71/2019

1. देवीलाल पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर। —वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र हजारीराम } जाति जाट निवासीगण राणीसर
2. कृष्णलाल पुत्र मोमनराम } तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

1 श्री नेतराम सियाग वादी वकील

2 पेरोकार राज।

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए एवं धारा 131, 136 एलआर एक्ट

—: निर्णय :—

दिनांक :— 23/07/2021

वादी वकील एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से श्री नेतराम सियाग वकील द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए एवं धारा 131, 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजारोही राणीसर के खेत पुराना खसरा नम्बर 144/90 में 25 बीघा खातेदारी भूमि स्थित हैं। जिस पर वादी का पुराने समय से लेकर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। मौके पर भी कब्जा हैं। जिसके आसे—पासे निम्न प्रकार है— उत्तर में सड़क, दक्षिण में हजारीराम व देवीलाल, पूर्व में मुखराम, पश्चिम में आराजी राज उपरोक्त आसे—पासे के मुताबिक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। आज भी मौके पर कब्जा हैं। वादी ने अपनी भूमि को हजारों रूपये लगाकर काश्त योग्य बनाया हैं।

लूनकरनसर तहसील में भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की गई जिसके पुराने खसरा नम्बर 144/90 जिसके नये खसरा नम्बर 242/90 जिसके नये खसरा नम्बर 242 तादादी 6.32 हैक्टेयर दर्ज की गई किन्तु मौके पर जाकर पैमाईश नहीं की गई ना ही मौके की जांच की गई [illegible] कब्जा खसरा नम्बर 144/90 तादादी 25 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 242 [illegible] नये खसरा नम्बर 235 की भूमि पर पुराने समय से कब्जा काश्त चला आ [illegible] इस कारण वादी उपरोक्त आसे—पासे के मुताबिक व कब्जे के मुताबिक [illegible] हकों की घोषणा कराने के हकदार है क्योंकि वादी की उपरोक्त आसे[illegible]से के मुताबिक ही खातेदार भूमि हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:03:59 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

भू–प्रबन्ध विभाग को केवल पुराने खसरों को नये खसरों में परिवर्तन व बड़े खसरों को छोटे खसरों में परिवर्तन करने का अधिकार हैं। इस कारण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादी की कब्जेशुदा भूमि को गलत तरीके से तरमीम की गई है उक्त तरमीम करने से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई ना ही मौके का कब्जा देखा गया । अतः उक्त तरमीम निरस्त करने योग्य है वादी अपनी पुराने कब्जे व वर्तमान कब्जे के अनुसार अपने हकों की घोषणा कराने के हकदार हैं।

ग्राम राणीसर के पुराने खसरा नम्बर 90 मिन तादादी 40 बीघा भूमि गणेशा पुत्र कालू जाति जाट साकिन राजासर भाटियान को दिनांक 05.09.2000 को आवंटन की गई हैं। उक्त भूमि का ना तो गणेशाराम का कभी कब्जा रहा है ना ही इस नाम का उस गांव में व्यक्ति है कैवल मात्र दस्तावेजों में आवंटन हुआ हैं।

वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादी मौजा रोही राणीसर के पुराने खसरा नम्बर 144/90 की 25 बीघा जिसके आसे पासे पुराने कब्जे के अनुसार जिसके नये खसरा नम्बर 242 व 235 तादादी 6.32 हैक्टेयर भूमि की घोषणा कराने के हकदार हैं।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से पूर्व में पेश जवाब दावा व शपथ पत्र. शामिल पत्रावली है जवाब दावा अनुसार मौका कब्जा के अनुसार तरमीम कर दी जावें तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रतिवादीगण संख्या 3 स्टेट की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हैं बिन्दुवार स्टेट जवाब पेश किया गया वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को रिकार्ड की हद तक स्वीकार किया एवं निवेदन किया गया कि दावा पक्षकारों के मध्य है इस लिए दावा डिग्री किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार से नुकसान नहीं हैं।

वादीगण की ओर से वाद–पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2071–2074 खसरा नम्बर 36 में तादादी 6.3200 , 204 में तादादी 5.0600 242 तादादी 6.3200 है0 कुल तादादी 17.7000 है0 एवं जमाबन्दी संवत् 2067–2070 खसरा नम्बर 21/10 में तादादी 25, 114/1 में तादादी 20 बीघा एवं 144/90 में तादादी 25 बीघा कुल तादादी 70 बीघा हैं। प्रमाणित नजरी नक्शा राणीसर एवं प्रमाणित आंशिक नकल नक्शा ग्राम राणीसर, प्रमाणित प्रति भू–प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल, सरपंच ग्राम पंचायत अरजनसर स्टेशन एवं करणीसर भाटियान द्वारा गणेशाराम पुत्र कालूराम नाम के व्यक्ति के निवास नहीं करने के सम्बन्ध में पत्र की छाया प्रति। दिनांक 03.06.2019 को तहसीलदार लूनकरनसर के समक्ष पेश पत्र एवं उक्त सम्बन्ध में हल्का पटवारी द्वारा तैयार फर्द मौका पृष्ठ की प्रमाणित प्रति। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में किये गए बेयनामा की छाया प्रतियां आदि पेश किये गए। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस के दौरान वाद पत्र में वर्णित कथनों की पुनरावृति करते हुए पुनः कथन कि[illegible]मौजा राणीसर के पुराने खसरा नम्बर 144/90 की भू–प्रब[illegible] समय मौका की स्थिति के विपरित तरमीम की है। वादी का [illegible] खसरा नम्बर 144/90 के नये खसरा नम्बर 242 व 235 की 6.32 हैक्टेयर [illegible] पर कब्जा काश्त है तथा दर्शाये गये आसा पासा अनुसार काबिज हैं। अतः मौका के विपरीत की गई तरमीम को निरस्त फरमाया जाकर भूमिधारी तहसीलदार लूनकरनसर को मौका अनुसार नये सीरे से तरमीम के आदेश हेतु निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:03:59 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया । पटवार हल्का अरजनसर स्टेशन मौजा रोही राणीसर के पुराने खसरा नम्बर 144/90 की 25 बीघा जिसके आसे पासे पुराने कब्जे के अनुसार जिसके नये खसरा नम्बर 242 व 235 तादादी 6.32 हैक्टेयर भूमि एवं शामिल पत्रावली जमाबन्दी, नक्शा एवं जवाब दावा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । वादी राणीसर के पुराने खसरा नम्बर 144/90 की 25 बीघा जिसे नये खसरा नम्बर 242 व 235 तादादी 6.32 हैक्टेयर बने है तरमीम दुरूस्ती के हकदार हैं।

अतः हम इस निस्कर्ष पर पहुंचे है कि रोही मौजा राणीसर के पुराने खसरा नम्बर 144/90 की तादादी भूमि 25 बीघा की भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है । तहसीलदार लूनकरनसर वादी के पुराने खसरा नम्बर 144/90 तादादी 25.0 बीघा की मौका स्थिति एवं पुरानी नक्शा में तरमीम के आधार पर नये सिरे से पुनः तरमीम कर रिकार्ड व नक्शा दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23/07/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:03:59 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : भागीरथ शाख, आरएएस

देवीलाल **बनाम** मदनलाल आदि

दावा अंतर्गत धारा 88,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :– 71/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नेतराम सियाग, अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई पैरोकारराज राज्य की ओर से मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि रोही मौजा राणीसर के पुराने खसरा नम्बर 144/90 की तादादी भूमि 25 बीघा की भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तरमीम को निरस्त की जाकर तहसीलदार लूनकरनसर वादी के पुराने खसरा नम्बर 144/90 तादादी 25.0 बीघा की मौका स्थिति एवं पुरानी नक्शा में तरमीम के आधार पर नये सिरे से पुनः तरमीम कर रिकार्ड व नक्शा दुरूस्त करे। घोषित करवाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक आदेश रिकार्ड दुरूस्त करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -........................... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 23/07/2021 को डिक्री जारी की गई।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:03:59 IST
Reason: SelfAttested